जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत वितरण निगमों की एमनेस्टी योजना
बकाया राशि एकमुश्त चुकाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट
योजना 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक

जयपुर, 28 जून। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व बकाया राशि जमा नही कराने के कारण कट गऐ थे, ऐसे उपभोक्ताओं के लिए विद्युत वितरण निगमों ने बिना ब्याज व पेनल्टी के बकाया राशि जमा कराने के लिए 15 जुलाई से 30 सितम्बर, 2016 तक एमनेस्टी योजना लागू करने का निर्णय किया है। इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता उठा सकेगें।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ता जिनके बिजली कनेक्शन बकाया राशि नही जमा कराने के कारण 31 मार्च, 2015 तक या उससे पूर्व कट गए थे और उन्होंने गत 5 वर्षो में इस तरह की योजनाओं का लाभ नही लिया उनके लिए लागू की गई हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए बड़े औधोगिक उपभोक्ताओं को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को सम्बन्धित सहायक अभियन्ता को आवेदन करना होगा एवं बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं को लेखाधिकारी–एचटी बिलिंग को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि 31 मार्च, 2015 तक यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए तक है तो सम्पूर्ण राशि को एकमुश्त जमा कराने पर ही ब्याज एवं पेनल्टी में शत–प्रतिशत छूट मिलेगी। इसके अतिरिक्त यदि बकाया राशि 5 लाख रुपए से अधिक है तो 5 लाख रुपए या मूल बकाया राशि का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो उस पर शत–प्रतिशत ब्याज व पेनल्टी की छूट एवं शेष राशि को 5 माह में वसूली के लिए सहायक अभियन्ता/लेखाधिकारी–एचटीबी को मासिक किश्त करने के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी महिने में निर्धारित किश्त की राशि जमा नही कराने पर ऐसे उपभोक्ताओं को एमनेस्टी योजना का लाभ देय नही होगा एवं उनसे ब्याज एवं पेनल्टी की सम्पूर्ण राशि की वसूली की जाएगी।

एमनेस्टी योजना के अन्य प्रमुख प्रावधान

– यह योजना सभी श्रेणी के उपभोक्ताओ के लिए है चाहे वे अपने कटे कनेक्शन को जुड़वाना चाहते हो अथवा नही।

– कृषि श्रेणी में कटे कनेक्शन कृषि नीति के प्रावधानों के अनुसार ही पुनः जोड़े जा सकेगें। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण मूल बकाया राशि, रि–कनेक्शन शुल्क, सिक्यूरिटी चार्जेज एवं आवश्यक होने पर कनेक्शन के लिए लाईन की लागत राशि जमा कराने के उपरान्त ही उपभोक्ता का कनेक्शन पुनः जोड़ा जाएगा।

– बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के प्रकरणों में निर्धारित किए गए राजस्व की बकाया राशि को जमा कराने पर भी इस योजना में छूट देय नही होगी।

– ऐसे उपभोक्ता जिनके बकाया राशि से सम्बन्धित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है और वे इस एमनेस्टी योजना का लाभ लेना चाहते है तों उनको सम्पूर्ण मूल राशि जमा कराने और एक माह में प्रकरण को वापस लेने की अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी।

– इस योजना की अवधि के दौरान उपभोक्ता शिकायत निवारण एवं सेटलमेन्ट फोरम की बैठक साप्ताहिक आयोजित होगी। यदि किसी उपभोक्ता का मूल राशि का विवाद है तो ऐसे उपभोक्ता सम्बन्धित फोरम में जाकर प्रकरण का निस्तारण करवाने के बाद इस योजना का लाभ ले सकते है। योजना अवधि में सम्बन्धित फोरम शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण को सुनिश्चित करेगें।

ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने ऐसे उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सम्पूर्ण मूल बकाया राशि सम्बन्धित कार्यालय में जमा करा कर योजना अवधि में इस अवसर का लाभ उठावें।

————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 399/2016